महत्वपूर्ण/आवश्यक

संख्या- 18/2023/388 /58-1-2023-2/1(26)/12

प्रेषक,

1. **मनोज कुमार सिंह**,
अपर मुख्य सचिव,
पंचायतीराज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. **हिमांशु कुमार**,
प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. **डा0 हरिओम,**
प्रमुख सचिव,
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊः: दिनांक 21 मार्च, 2023**

विषय:-आँगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार के सचिव, ग्राम्य विकास तथा सचिव, पंचायती राज के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र संख्या-J-11016/11/2012-MGNREGA-IV, दिनांक 13.08.2015 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये एवं इसी क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास, सचिव, पंचायतीराज एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र संख्या-J-11016/11/2012-MGNREGA-IV, दिनांक 17.02.2016 द्वारा भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये, जिसके अनुसार प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु रु0 5.00 लाख तक की धनराशि मनरेगा से तथा पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था पंचायतीराज विभाग से व्यय किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त के अतिरिक्त अवशेष रु0 2.00 लाख की धनराशि का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अंशदान आई०सी०डी०एस० विभाग द्वारा वहन किये जाने संबंधी शासनादेश दिनांक 19.10.2016 निर्गत किया गया था।

2- भारत सरकार के पत्र संख्या-11/4/2021 सी०डी०-1(e-95706), दिनांक 01 अगस्त, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्गत सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 की गाईडलाइन के अनुसार आंगनवाडी केन्द्र भवन निर्माण हेतु रु० 8.00 लाख प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र मनरेगा स्कीम के अन्तर्गत, रु0 2.00 लाख प्रति आंगनवाडी केन्द्र 15वें वित्त आयोग निधि (कोई अन्य अनटाइड फण्ड) के अन्तर्गत तथा रु० 2.00 लाख बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने के उल्लेख सहित कुल धनराशि रु० 12.00 लाख प्रति केन्द्र संशोधित की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सचिव, ग्राम्य विकास मंत्रालय तथा सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-J-11060/100/2022-RE-VI (381379), दिनांक 30 जनवरी, 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्माण सामग्री तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा उपरोक्त पत्र दिनांक 17.02.2016 के पैरा-7.2 में संशोधन करते हुये मनरेगा द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि रू0 5.00 लाख को बढ़ाकर रु0 8.00 लाख कर दी गयी है।

3- अत: भारत सरकार के उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत/मानक के अनुसार रु0 8.00 लाख की धनराशि सीमा तक मनरेगा योजना से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये वहन किया जायेगा। आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा रू0 2.00 लाख की धनराशि पन्द्रहवें वित्त आयोग (कोई अन्य अनटाईड फण्ड) के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा रू. 2.00 लाख की धनराशि वहन कर कन्वर्जेन्स के माध्यम से ऑगनवाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

4- आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के संबंध में कार्यदायी संस्था के निर्धारण के लिए संबंधित जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाता है, जो जनपद में आंगनवाड़ी केन्द्र/भवनों के निर्माण हेतु मनरेगा के अन्तर्गत निर्धारित अनुमन्य कार्यदायी संस्थाओं को नामित कर सकते हैं, परन्तु जिलाधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण हेतु नामित किया जाय, जो कन्वर्जेन्स के अधीन समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने में सक्षम हो। आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु स्थल का चयन करते समय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कर लें कि चयनित स्थल आंगनवाडी केन्द्र निर्माण हेतु उपयुक्त हो तथा यदि समीप के प्राथमिक स्कूल परिसर में भूमि उपलब्ध हो तो उस परिसर में निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा दिये दिशा-निर्देशों का किसी भी दशा में उल्लंघन/विचलन न हो तथा गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,	भवदीय,	भवदीय,
डा0 हरिओम	**हिमांशु कुमार**	**मनोज कुमार सिंह**
प्रमुख सचिव।	प्रमुख सचिव।	अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।